



2026:AHC:30658

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5573 वर्ष 2026

नीरज तिवारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुधाकर सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को इस आदेश से कोई आपत्ति या व्यथा होती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना केवल प्रार्थना संख्या 2 तक सीमित रखी है, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देशित किया जाए कि वह यू.पी. रेवेन्यू कोड, 2006 की धारा 25 के तहत चल रही कार्यवाही, जो कि वाद संख्या 5116 वर्ष 2024 है, को शीघ्रता से तय करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 4-तहसीलदार, तहसील-बाँसगाँव, जिला गोरखपुर को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपरोक्त वाद का निस्तारण कानून के अनुसार कड़ाई से और यथाशीघ्र करें, और जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी